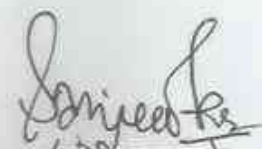


लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान व वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा रोड नं० 62 पी० ए० कि०मी० 14.346 से 14.381 के मध्य बोंयी पटरी ग्राम- चरखौला, तहसील- बीसलपुर, जिला- पीलीभीत, गाटा संख्या- 568 में पेट्रोल पम्प / रिटेल आउटलेट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के सफल संचालन के लिए पेट्रोल पम्प / रिटेल आउटलेट के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.114123 है० गैर वानिकी प्रयोग हेतु संरक्षित वन भूमि की गणना लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान व वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप की गयी है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बीसलपुर (पीलीभीत)


(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत
प्रभागीय निदेशक
सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत